न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 86/2023

1 राजेन्द्र पुत्र हनुमान।
2 विजयपाल पुत्र हनुमान।
3 बनारसी पत्नी हनुमान।
4 आशुतोष पुत्र संजीव।
5 सुमन पुत्री संजीव।
6 महिपाल पुत्र चन्दा।
7 रामकुमार पुत्र चन्दा समस्त जाति जाट निवासीगण पूनियां नगर नाहरसिंघानी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मनफूल सिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी पूनिया नगर नाहरसिंघानी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 120/22 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी मनफूल सिंह बनाम राजेन्द्र वगैरह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुश्ताक अली खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 120/2022 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया, कि ग्राम नाहरसिंघानी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 29 पुराना 129 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 508/142 रकबा 1. 11 हैक्टैयर में आने जाने के लिए अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 447/143, 446/143 व 143 में संलग्न नजरी नक्शे में दिलाये गये लाल रंग से ए से बी रास्ता 13 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। रास्ते के लिए डीएलसी के अनुसार राशि वहन करने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक संख्या 8 पैराकार राजस्थान सरकार उपस्थित हो तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगणों को सुनकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदक के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। आवेदक की कृषि भूमि खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव राजस्व अपील अधिकारी

अधिकारी एवं ... सीकर

नम्बर 508/142 रकबा 1.11 हैक्टेयर के पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 509/142 है तथा उसके पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 510/142 है जिनमें से होकर रास्ता खसरा नम्बर 511/142 उपलब्ध है। सड़क नाहरसिंघानी से बलवन्तपुरा जाने वाली से पश्चिमी तरफ डॉटेड लाईन का रास्ता खसरा नम्बर 488/144 जो आगे खसरा नम्बर 484/149 में मिल जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर 484/149, 511/142 में मिल जाता है जो आवेदक के खेत में जाता है। उक्त रास्ता जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा व प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। इस प्रकार आवेदक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 508/142 में पहूचने के लिए रास्ता उपलब्ध होते हुये भी अपीलान्टस्/अनावेदकगण की भूमि में से नया रास्ता डालने का आदेश दिनांक 31.08.2023 पारित किया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में काश्तकार को अपनी काश्त के लिए खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर ही प्रार्थना पत्र पोषणीय होता है जहॉ पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां पर उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में आवेदकगण के खेत खसरा नम्बर 508/142 में हमेशा से खसरा नम्बर 509/142 व 510/142 में से कटाण शुदा रास्ता स्थित होना तथा खसरा नम्बर 143, 446/143 व 447/143 में से प्रचलन का रास्ता होना बताया है। आवेदक द्वारा अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 143, 446/143 व 447/143 में से हमेशा आना जाना व प्रचलन का रास्ता होना बताया हैं। यदि उक्त प्रकार से आवेदक/रेस्पोडेन्ट का प्रचलन का रास्ता था तो आवेदक/रेस्पोडेन्ट की सुखाधिकार के अधिकार में सिविल न्यायालय से सिद्धी प्राप्त करनी चाहिए थी अथवा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार के यहां प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। उक्त खसरा नम्बर 509/142 व 510/142 के खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना व उनको सुने बिना उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही हो सकता है। खसरा नम्बर 143 रकबा 0.55 हैक्टेयर ग्राम पूनियां नगर में अपीलान्ट संख्या 5 का हिस्सा 1/8 है जो कि

...प्रबन्ध अधिकारी एवं ... अधिकारी

बहुत ही अल्प हिस्सा है। 1/8 हिस्से में 0.05 हैक्टेयर जमीन अपीलान्टस संख्या 5 के हिस्से में जाती है। इतनी कम भूमि में से यदि रास्ता निकल जाता है तो अपीलान्ट के पास काश्त करने हेतु कुछ भी शेष नही रहेगा इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/आवेदक को सुविधा हेतु अपीलान्टस की भूमि में रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं हैं। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 330, आरआरटी 2021(2) पेज 1286, आरआरटी 2018–19 पेज 576 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत, तहसीलदार की रिपोर्ट से दिए गये रास्ते की वैधानिकता प्रमााणित होती है। राजस्व रिकार्ड में अंकित डोटेड लाइन रास्ता नहीं है अपितु भू–प्रबंध विभाग का डिमार्केशन है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा पक्षकार नहीं बनाने के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर यह आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या ही विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शे के अवलोकन से जाहीर होता है कि प्रार्थी आवेदक का खेत खसरा नम्बर 508/142 के दक्षिण में खसरा नम्बर 509/142, खसरा नम्बर 510/142, खसरा नम्बर 143, खसरा नम्बर 446/143 एवं खसरा नम्बर 447/143 अवस्थित है। खसरा नम्बर 447/143 से सटता हुआ कटान का रास्ता है। विचारण न्यायालय में आवेदन खसरा नम्बर 508/142 के खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाकर खसरा नम्बर 143,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

446/143, 447/143 में से रास्ता चाहा गया है। आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 509/142, 510/142 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा भी इन खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई नहीं की गई है।

यहां यह भी विचारणीय है कि खसरा नम्बर 509/142, 510/142 के निचली तरफ खसरा नम्बर 511/142 अंकित है। इसकी किस्म बारानी द्वितीय अंकित है। स्पष्ट है कि यह रास्ते की भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 509/142, 510/142 में रास्ता कायम किये बिना खसरा नम्बर 508/142 के खातेदार को खसरा नम्बर 143, 446/143, 447/143 में रास्ता कायम कर सड़क से कैसे जोड़ा जा सकता है यह विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय परस्पर विरोधाभाषी होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आवश्यक पक्षकार संयोजित कर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर